

अनुदान संख्या 67 - पंचायती राज मंत्रालय
GRANT No. 67-MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	50,44,00		
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,40,40
		50,45,00	49,01,75	-1,43,25

Notes and comments

- टीका और टिप्पणियां
1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/ हुआ:-
1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"			
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes			
मू.	O.	3300.00		
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	221.95	3522.95	3514.55
				-8.40
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	500.00		
पु.	R.	-500.00
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	1200.00		
पु.	R.	150.00	1350.00	1350.00
				..

(I) 500.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2515" - "पंचायती राज - पंचायती राज संस्थाओं के चुने गए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण" के अंतर्गत 158.45 लाख रु. की बचत (1240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालय के प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 67.91 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (500.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2515" - "पंचायती राज - पंचायत अधिकारिता प्रोत्साहन स्कीम" के अंतर्गत दिसंबर, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 499.00 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज - पंचायती राज संस्थाओं के चुने गए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 150.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.500.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Training of Elected Representatives of Panchayati Raj Institutions" - saving of Rs.158.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1240.00 lakhs) was due to the Ministry being at inception stage.

(III) Under one head saving of Rs.67.91 lakhs occurred constituting 34 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.500.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2005 under Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Panchayat Empowerment Incentive Scheme". Actual excess, however, was Rs.499.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Other Rural Development Programme - Panchayati Raj - Training of Elected Representatives of Panchayati Raj Institutions" - excess of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.